बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०–पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **विभागीय संकल्प संख्या–2565, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष–2018 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 5794.30 लाख (रू0 सन्तावन करोड चौरानवे लाख तीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2018 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित राशि से कुल रू 5794.30 लाख (रू0 सन्तावन करोड चौरानवे लाख तीस हजार) मात्र की राशि का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा–विषय शीर्ष 34–छात्रवृत्ति/वजीफा(0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन कुल बजट प्रावधान में से रू 5794.30 लाख (रू0 सन्तावन करोड चौरानवे लाख तीस हजार) मात्र विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृत राशि के विरूद्व आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–2565, दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2018 में दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार उक्त कोटि के निर्धारित अहर्त्ता को पूर्ण करने वाले योग्य छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे कि उक्त कोटि के निर्धारित अहर्त्ता को पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाए।

6– अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (**BC-I**) के वैसे छात्र/छात्रा, जो वर्ष 2018 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची, के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार–संख्या एवं बैंक अकांउट की छायाप्रति की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एकमुश्त राशि रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान DBT के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी लाभुकों के बैंक खाता में हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना मद में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र) निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808, दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अहर्ता को पूर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

P.T.O.

8– इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
12.10.18
(प्रेम सिंह मीणा)
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.10.18
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.10.18
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.10.18
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– उप सचिव/ आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.10.18
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

12.10.18
सचिव

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 62 पटना, दिनांक– 12/10/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

12.10.18
सचिव